

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (श0) (सं0 पटना 967) पटना, शुक्रवार, 13 अक्तूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्तूबर 2017

अधिसूचना सं0-36/2017-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 223, दिनांक 13 अक्तूबर 2017—बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सख्या 04/2017-राज्य कर (दर) तारीख 29 जून, 2017, जिसे बिहार के राजपत्र, असाधारण अंक, में संख्या 547 तारीख जून 29, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-ः

उक्त अधिसूचना में, -

(i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्वात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

तालिका

क्रम सं0	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति	प्राप्त करने वाला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6.	कोई अध्याय	इस्तेमाल किए गए वाहन,	केन्द्र सरकार, राज्य	कोई
		जब्त की गई वस्तु, पुरानी और	सरकार, संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत
		प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्क्रैप	या स्थानीय प्राधिकरण	व्यक्ति"

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017–36)] बिहार राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

13 अक्तूबर 2017

एस०ओ० 224, एस०ओ० 223, दिनांक 13 अक्तूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017—36)] बिहार राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 13th October 2017

Notification No.-36/2017- State Tax (Rate)

S.O. 223, dated13th October 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department No.04/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 547, dated the 29th June, 2017, namely:- In the said notification,-

(i) after S. No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub- heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Any Chapter	and confiscated goods,		Any registered person
		old and used goods, waste and scrap	Union territory or a local authority	

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-36)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) १६७-५७१ १+१०-डी १८०।

Website: http://egazette.bih.nic.in